मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित किए गए रूप में.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१४

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (क) में, अंक और शब्द "२,५०,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "५,००,००० रुपये" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, अंक और शब्द "१०,००,००० रुपये" के स्थान पर, अंक और शब्द "१,००,००,००० रुपये" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में भू-सम्पत्ति के बाजार मूल्य मे अनेक गुना वृद्धि हुई है. इसी दौरान, मुद्रा स्फीति के दबाव के कारण रुपये का मूल्य अत्यधिक नीचे गिर गया है. भू-सम्पत्ति के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण बहुत कम संख्या में सिविल वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालयों में फाइल किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी धन संबंधी अधिकारिता की सीमा क्रमशः २,५०,००० रुपये और १०,००,००० रुपये तक ही है. परिणामतः कई सिविल वाद जिनमें भू-सम्पत्ति से संबंधित विवाद अन्तर्वलित हैं, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में फाइल किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का बहुत अधिक भार है.

२. वादियों को आसानी से न्याय प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमाओं में यथोचित वृद्धि की जाए. इससे जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना और आसान हो जाएगा और जिला स्तर पर वादियों को अधिक न्याय प्राप्त होगा. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा ६ में यथोचित संशोधन द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता की सीमा को रुपये २,५०,००० से रुपये ५,००,००० तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के न्यायालय की धन-संबंधी अधिकारिता को रुपये १०,००,००० से रुपये १,००,००,००० तक बढ़ाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जून, सन् २०१४

कुसुम सिंह महदेले
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) से उद्धरण

* * * * * * *

सिविल न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता. ६.(१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए—

(क) सिविल न्यायाधीश (द्वितीय वर्ग) के न्यायालय को २,५०,००० रुपये से अनधिक मूल्य के किसी वाद या मूल कार्यवाही को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी;

(ख) सिविल न्यायाधीश (प्रथम वर्ग) के न्यायालय को १०,००,००० रुपये से अनधिक मूल्य के किसी वाद या मूल कार्यवाही को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी;

(ग) जिला न्यायाधीश के न्यायालय को मूल्य के विषय में बिना किसी निर्बन्धन के किसी वाद या मूल कार्यवाही को सुनने तथा अवधारित करने की अधिकारिता होगी.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिनिश्चित करे.

(३) उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में की कोई भी बात किसी ऐसे वाद या मूल कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि २६ जनवरी १९७९ के पूर्व संस्थित की गई हो/किया गया हो.

* * * * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.